

## परिपत्र

विषय :- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, इन दिशा निर्देशों में पेज संख्या 11 पर बिन्दु संख्या 15 के 2.2 में पैकेज एडिट एड करते समय दिये गये मुख्य बिन्दुओं में "प्रपत्र" अंकित किया गया है। इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि पैकेज एडिट एड करते समय पैकेज एडिट एड करने के कारण हेतु कोई प्रपत्र भरना या अपलोड किया जाना आवश्यक नहीं है अर्थात् उपरोक्त बिन्दु " पैकेज बदलते समय इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा पैकेज बदलने की आवश्यकता का प्रपत्र- में उल्लेख करते हुए संबंधित दस्तावेजों के साथ SOFTWARE में अपलोड करना होगा।" को डिलीट हटाया गया (Deleted) समझा जाये।

(भारती दीक्षित)

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016-17/1549 दिनांक : 22/12/17  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. जिला कलेक्टर, समस्त जिले, राजस्थान।
6. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचए।
7. जिला नोडल अधिकारी (RAS RANK),(समस्त)।
8. उप महाप्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेन्स।
9. संभाग संयुक्त निदेशक, (समस्त संभाग)।
10. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज,(समस्त)।
11. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)।
12. जिला नोडल अधिकारी समस्त।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)।
14. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क)।
15. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)।
16. नोडल अधिकारी (भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत सम्बद्ध समस्त निजी एवं सरकारी अस्पताल)।
17. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी